न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस

राजस्व विविध संख्या – 2/2020

निर्णय दिनांक –31.03.2021

अपीलान्ट

पप्पूराम पुत्र मेघारामजी जाति–मेघवाल(मेगवंशी) आयु–38 वर्ष निवासी–कोलर, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ग्राम पंचायत, मगरतलाव, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज.
2. डूंगरराम पुत्र मेघाराम
3. छोगाराम पुत्र मेघाराम
4. अर्जुनराम पुत्र मेघाराम
5. गोकुलराम पुत्र मेघाराम

जातिगण–मेघवाल (मेंगवंशी) निवासी–कोलर तहसील–देसूर जिला–पाली राज.

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1190 स्वीकृत दिनांक 28.05.2019 द्वारा ग्राम पंचायत मगरतलाव

उपस्थिति–

[redacted] श्री मनोहरदास वैष्णव अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

2–श्री फिरोज खान रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 व 5 की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक– 31/03/2021**

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:08 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रक[illegible]–अपीलान्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व [illegible] प्रतिवादीगण [illegible]

पेज नम्बर 2 पर लगातार

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 से लगाय 5 मृतक मेघाराम का जायन्दा पुत्रगण है।

यह है कि सरहद मौजा ग्राम कोलर, पटवार हल्का मगरतलाव तहसील–देसूरी जिला–पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 1.4700 हैक्टर किस्म–बारानी दोयम लगान रूपये–7.3500 में अपीलान्ट के पिताजी मेघाराम पुत्र नेकाराम की खातेदारी का कब्जा एवम् काश्त शुदा 1/3 हिस्सा आता था। अपीलान्ट के पिताजी मेघाराम की मृत्यु दिनांक 06.06.2017 को होने से उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि में उनके विधिक वारिसान पुत्रगण अपीलान्ट एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के नाम से फौतेदगी नामान्तरकरण भरा गया।

उक्त फौतेदगी नामान्तरकरण प्रविष्टि क्रम संख्या एवम् दिनांक –1190/04.04.2019 हल्का पटवारी मगरतलाब द्वारा दायर किया गया जो नामान्तरकरण भू–अभिलेख निरीक्षक, मगरतलाव द्वारा जॉच कर अंकन पत्रों से तुलना की व उसके बाद ग्राम पंचायत मगरतलाव के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया उसके आधार पर ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के बाद राजस्व रिकोर्ड में अपीलान्ट एवम् रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 से 5 के नाम की खातेदारी दर्ज हुई।

यह है कि उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 1190 हल्का पटवारी द्वारा भरा गया उस वक्त हल्का पटवारी द्वारा बिना जॉच पडताल किये बिना अपीलान्ट पप्पूराम का नाम पुखराज पुत्र मेघाराम दर्ज कर जॉच हेतु अभिलेख निरिक्षण मगरतलाब को भेज दिया उसके बाद उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत मगरतलाव को भेज गया तो ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा बिना पूछताछ किये व बिना किसी जॉच पडताल के उक्त नामान्तरकरण दिनांक 28.05.2019 को स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलान्ट का सही नाम पप्पूराम है। उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के बाद अब वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में अपीलान्ट का नाम पुखराज ही चला आ रहा है। जिसमें पुनः न[illegible]र उक्त नामान्तरकरण भरा जाकर अपीलान्ट का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक [illegible] न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:36:08 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 3 पर लगातार..........

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह है कि पुखराज के नाम से स्व मेघाराम के कोई जायन्दा पुत्र नह हैं। स्व मेघाराम के मात्र पॉच पुत्रगण पप्पूराम, डूंगरराम, छोगाराम, अर्जुनराम व गोकुलराम ही है इसके अलावा स्व मेघाराम के कोई पुत्रगण नही है। अपीलान्ट के विद्यालय रिकोर्ड टी0सी0, आधार कोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, परिवार का राशन कार्ट इत्यादि तमाम दस्तावेजातो में अपीलान्ट का नाम पप्पूराम दर्ज है। जिससे नामान्तरकरण पुनः नये सिरे से भरा जाकर अपीलान्ट का नाम पुखराज के बजाय पप्पूराम दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक एवम् न्याय सगत है।

यह है कि अपीलान्ट को अपने नाम बाबत सन्देह होने पर हल्का पटवारी मगरतलाव से दिनांक 18.08.2020 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की जिस पर अपीलान्ट को अपने गलत नाम बाबत जानकारी हुई। जिससे हस्ब धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत देरी को कन्डोन करने की इस्तदुआ करते हुए दिनांक 18.08.2020 से मियाद 30 रोज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर पेश करने में हुई देरी को हस्ब धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन फरमाई जाकर मृतक मेघाराम के वारिसानो के नाम से भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1190 स्वीकृत दिनांक 28.05.2019 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः नये सिरे से जॉच कर अपीलान्ट का नाम पुखराज के बजाय पप्पूराम दर्ज कर नामान्तरकरण भरा जाने का आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 बावजुद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 व 5 की ओर अधिवक्ता फिरोज खान ने वकालत नामा पेश किया । अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने इकबालिया जबाव प्रस्तुत कर उजर किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में तमाम तथ्य सही होने से स्वीकार हैं। अतः हल्का मौजा ग्राम कोलर, पटवार हल्का मगरतलाब मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 613 में अ[illegible]न्ट [illegible]म रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के पिता मेघाराम पुत्र नेकाराम की [illegible] हुवा 1/3 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:08 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]ा नम्बर 4 पर लगातार..........

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आता था। मेघाराम की मृत्यु होने के बाद उनके विधिक वारिसानों के नाम से राजस्व रिकोर्ड में फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1190 स्वीकृत दिनांक 28.05.2019 भरा गया। फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय राजस्व रिकोर्ड में अपीलान्ट का नाम गलती से पप्पूराम के बजाय पुखराज दर्ज कर दिया था। पुखराज केनाम से स्व मेघाराम के कोई पुत्र नही है। जिससे उक्त नामान्तरकरण निरस्त फरवाया जाकर पुनः नये सिरे से जॉच कर अपीलान्ट का नाम पुखराज के बजाय पप्पूराम दर्ज नामान्तरकण भरा जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम व अन्तिम बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए व्यक्त किया कि मौजा ग्राम कोलर, पटवार हल्का मगरतलाव तहसील–देसूरी जिला–पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 1.4700 हैक्टर किस्म–बारानी दोयम लगान रूपये–7.3500 में अपीलान्ट के पिताजी मेघाराम पुत्र नेकाराम की खातेदारी का कब्जा एवम् काश्त शुदा 1/3 हिस्सा आता था। स्व. मेघाराम की मृत्यु के बाद फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1190 दिनांक 28.05.2020 को भरा गया। जो ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के बाद राजस्व रिकोर्ड में अपीलान्ट एवम् रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 से 5 के नाम की खातेदारी दर्ज हुई। जिसमें अपीलान्ट का नाम पप्पूराम की जगह पुखराज दर्ज किया गया। जिससे नामान्तरकरण पुनः नये सिरे से भरा जाकर अपीलान्ट का नाम पुखराज के बजाय पप्पूराम दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक एवम् न्याय सगत है। तथा अपीलान्ट को नाम बाबत सन्देह होने पर हल्का पटवारी मगरतलाव से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 18.08.2020 को प्राप्त की जब अपीलान्ट को गलत नाम बाबत् जानकारी हुई। जिससे अपील को पेश करने में कानूनी तौर पर देरी को माफ फरमाया जावे एवम् अपील अन्दर मियाद शुमार फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 व 5 को [illegible] उजर किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में तमाम तथ्य [illegible] नामान्तरकरण भरते समय राजस्व रिकोर्ड में अपीलान्ट का नाम [illegible]ती से पप्पूराम के बजाय पुखराज दर्ज कर दिया था। पुखराज के नाम से स्व[illegible]राम के कोई पुत्र नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:08 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 5 पर लगातार..........

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

जिससे उक्त नामान्तरकरण निरस्त फरवाया जावे।

अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवम् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पिताजी मेघाराम की मृत्यु दिनांक 06.06.2017 को होने से उक्त खसरा नम्बर–613 की कृषि भूमि में उनके विधिक वारिसान पुत्रगण अपीलान्ट एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के नाम से फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1190 दिनांक 28.05.2020 को भरा गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट पप्पूराम ने अपील पेश की है। न्यायालय की राय में निम्न बिन्दू पर निर्णय किया जाना आवश्यक है–

1. **धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत अपील अन्दर म्याद है–** अपीलान्ट ने अपने म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया है कि अपीलान्ट को नाम बाबत सन्देह होने पर हल्का पटवारी मगरतलाव से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 18.08.2020 प्राप्त की तब अपीलान्ट को गलत नाम बाबत जानकारी हुई। इसके पहले अपीलान्ट को गलत नाम बाबत जानकारी नही थी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने पटवारी मगरतलाव से नामान्तरकरण की प्रति दिनांक 18.08.2020 को प्राप्त की है तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त अपील अन्दर मियाद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार का विरोध नही किया हैं। अतः न्यायालय की राय में अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हल्का पटवारी मगरतलाव से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 18.08.2020 प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर अपील पेश कर दी गई। जिससे इस अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना उचित है। अतः अपीलान्ट पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है।
2. **अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य है** – यह है कि मेघाराम की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिसान पुत्रगण अपीलान्ट एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के नाम से फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1190 दिनांक 28.05.2020 को भरा गया। ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने पर राजस्व रिकोर्ड में अपीलान्ट एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के नाम खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:08 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 6 पर लगातार..........

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

दर्ज हुई। जिसमें अपीलान्ट का नाम पप्पूराम के बजाय पुखराज दर्ज कर दिया गया। जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो विद्यालय की टी.सी. आधार कार्ड संख्या 4175 9982 0729, मतदाता पहचान पत्र, परिवार का राशन कार्ड इत्यादि में अपीलान्ट का नाम पप्पूराम दर्ज है। जिस संबंध में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 व 5 ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय राजस्व रिकोर्ड में अपीलान्ट का नाम गलती से पप्पूराम दर्ज हो कर दिया था। पुखराज के नाम से स्व. मेघाराम के कोई पुत्र नही है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्व मेघाराम के फौतेदगी नामान्तकरण में गलती से अपीलान्ट का नाम पप्पूराम के नाम के स्थान पर पुखराज दर्ज हुआ हैं। जिससे उक्त नामान्तरकरण संख्या 1190 निरस्त किया जाना न्याय संगत है। अतएव

आदेश

अपीलान्ट की नामान्तकरण की अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार जाती है। ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1190 दिनांक 28.05.2019 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार, देसूरी को रिमाण्ड की जाकर आदेर्शित किया जाता है कि मौजा ग्राम कोलर, पटवार हल्का मगरतलाव तहसील–देसूरी जिला–पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 1.4700 हैक्टर किस्म–बारानी दोयम लगान रूपये–7.3500 में स्व. मेघाराम पुत्र नेकाराम के विधिक वारिसान का फौतेदगी नामान्तरकरण पुनः नये सिरे से जॉच कर नामान्तरकरण भरा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:08 IST
Reason: SelfAttested